राज्य स्तरीय आकलन (State Level Assessment - SLA)
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)
मार्च, 2019

राज्य की शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय आकलन किया जा रहा है। हमने राज्य स्तर से आप सभी के साथ मिलकर आपके सक्रिय सहयोग से गत वर्षो में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किए हैं। शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए उनका संविलियन एवं समय पर पदोन्नति, आंकड़ों एवं डाईस डाटा को व्यवस्थित करना, स्कूलों को एक विभाग के अधीन लाने एवं विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार लाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु पहली बार राज्य स्तरीय आकलन का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य में लाखों बच्चों का एक साथ एक समय में आकलन आप सभी के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकेगा। इसके सफल आयोजन के लिए विभिन्न स्तरों से उठ रही शंकाओं के समाधान का प्रयास इस FAQ के माध्यम से किया जा रहा है।

1. राज्य स्तरीय आकलन करने का क्या उद्देश्य है ?

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अलग–अलग प्रकार एवं अलग–अलग स्तर से आकलन करने के स्थान पर एकरूपता लाते हुए बेहतर गुणवत्तायुक्त प्रश्नों को तैयार करने से हमें न केवल बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के अनुसार स्थिति का पता चल सकेगा वरन हमारी कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार भी दिखाई दे सकेगा। इस वर्ष से प्रारंभ हो रहे इस राज्य स्तरीय आकलन से हम शालाओं में हो रहे आकलन प्रणाली में सुधार भी लाना चाहेंगे ताकि सही स्थिति का पता कर हम सभी मिलकर सुधारात्मक उपाय प्रारंभ कर सकें। लर्निंग आउटकम्स में बच्चों की, संकुल की, विकासखंड की, जिले की एवं राज्य की स्थिति के आधार पर हम शिक्षकों के सतत क्षमता विकास की दिशा में ठोस कार्य कर सकेंगे।

2. राज्य स्तरीय आकलन में, पूर्व से किए जा रहे आकलन से अलग क्या है ?

- राज्य में पहली बार आयोजत किए जा रहे राज्य स्तरीय आकलन पूर्व की भाँति ही होगा परन्तु इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर हैं वे इस प्रकार से हैंः –
  - ➢ पूर्व में प्रश्नपत्र स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाते थे इस बार सारे प्रश्न पत्र राज्य स्तर से (एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग., रायपुर द्वारा) तैयार कर जिलों को उपलब्ध किए जाएंगे।
  - ➢ बच्चों की उपलब्धि की जानकारी पूर्व में शाला या संकुल या विकासखंड स्तर तक ही रहती थी किन्तु अब राज्य स्तरीय आकलन में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की ट्रेकिंग, टेक्नोलोजी का उपयोग कर किया जा सकेगा और विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्तरों पर आंकड़े प्राप्त किए जा सकेंगे।
  - ➢ शाला में बच्चों का आकलन संबंधित शाला के शिक्षकों के स्थान पर अन्य निकटस्थ शाला के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
  - ➢ बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अन्य संकुल में की जाएगी।
  - ➢ बच्चों की स्थिति के आकलन द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनके शिक्षकों को कमजोर क्षेत्रों में समर्थन देने हेतु तैयार किया जा सकेगा।

3. राज्य स्तरीय आकलन में जिलों की क्या भूमिका होगी ?

- राज्य स्तरीय प्रश्नपत्र एस.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त करना।
- आकलन हेतु जिले में शालाओं को तैयार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश देना।
- आकलन कार्य करने हेतु यथासंभव निकट की शालाओं के शिक्षकों की अदला–बदली करना।

- संकुलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में विकसित कर उत्तरपुस्तिकाओं की जांच का कार्य अपनी देखरेख में संपादित करना।
- आकलन हेतु प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखना ।
- निर्धारित संख्या में बच्चों के लिए कक्षावार एवं विषयवार प्रश्नपत्रों का मुद्रण।
- आकलन के दिनों में जिले में मानिटरिंग टीम का गठन कर आकलन केन्द्रों की सघन मानिटरिंग करना।
- संकुल केन्द्रों में डाटा–प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं बनाना।
- आकलन से संबंधित डाटा का सेम्पल वेरिफिकेशन।
- राज्य स्तरीय आकलन की नियमित रूप से समीक्षा कर समयसीमा का पालन सुनिश्चित करना।

4. राज्य स्तरीय आकलन में विकासखंडों की क्या भूमिका होगी ?

- उपरोक्तानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदत्त जिम्मेदारियों का अपने अपने विकासखंडों में निर्वहन करेंगे।
- एक कुशल टीम बनाकर अपने–अपने विकासखंड में कार्य्रकम का समयसीमा में क्रियान्वयन।

5. क्या नियमित समेटिव 2 के बाद क्या राज्य स्तरीय आकलन अलग से करना होगा ?

इस बार आयोजित होने वाले समेटिव 2 के आकलन के बदले उसी स्थान पर हम राज्य स्तरीय आकलन करेंगे। राज्य स्तरीय आकलन के लिए बच्चों का अलग से कोई आकलन नहीं किया जाएगा और समेटिव–2 के स्थान पर ही उसकी प्रक्रियाओं में सुधार लाते हुए राज्य स्तरीय आकलन किया जाएगा ।

6. क्या स्थानीय स्तर पर आकलन की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

चूंकि राज्य स्तरीय आकलन में प्रश्नपत्र सभी शालाओं के लिए एक जैसे होंगे इसलिए जिलों को अपने आकलन तिथियों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

7. क्या निजी शालाओं को इस आकलन में शामिल कर उनकी प्रविष्टि करनी है ?

राज्य स्तरीय आकलन केवल हमारी शासकीय शालाओं में ही आयोजित किए जाएंगे। निजी शालाएं चाहें तो प्रश्नपत्र लेकर उनका उपयोग कर सकते हैं परन्तु उनके डाटा की प्रविष्टि नहीं होगी।

8. राज्य स्तरीय आकलन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ?

- राज्य स्तर पर तैयार प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी लर्निंग आउटकम्स से जुड़े होंगे। किसी एक प्रश्न में बच्चों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर प्राप्त अंक उस लर्निंग आउटकम्स पर उस बच्चे की स्थिति से अवगत कराएगा। विभिन्न प्रश्नों को तैयार करने समय ब्लूम्स टेक्सोनोमी के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से लेकर, मौखिक, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। रटने वाले एवं याद कर लिखने वाले प्रश्नों के बदले ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो रचनात्मक कौशलों के विकास की दिशा में बच्चों को आगे लेकर जा सकेंगे।
- कक्षावार,विषयवार प्रश्नपत्रों की अवधि, प्रश्नों की संख्या एवं निर्धारित अंक निम्नानुसार हैः

क्र	कक्षा	प्रश्नों की संख्या	समय –घंटे	टंक	विषय
1	**I – II**	**15**	**2.00**	**30**	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित
2	**III –IV**	**15**	**2.00**	**50**	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण

3	**V**	**15**	**2.00**	**100**	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
4	**VI– VIII**	**15**	**2.30**	**100**	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, पर्यावरण संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान

9. विकासखंड स्तर पर शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों (सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाली) की आकलन प्रक्रिया कैसी होगी?

शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार कर भेजे गए हैं। शेष प्रक्रियाएं यथावत रहेंगी।

10. बच्चों को रोल नंबर कैसे दिए जाएंगे ?

शालाएं अपने विद्यार्थियों के रोल नंबर एजुपोर्टल में जाकर ले सकते हैं। राज्य स्तरीय आकलन विद्यार्थियों की ID ही उनका रोल नम्बर होगी। एजुपोर्टल का Web Address http://eduportal.cg.nic.in हैः–

यह रोल नंबर ID कुल दस अंकों का होगा और बच्चों को इसे बहुत ध्यान से लिखना होगा। छोटी कक्षाओं में इसे शिक्षक स्वयं लिखेंगे ताकि कोई गलती न हो।

11. यू–डाईस में रोल नंबर नहीं दर्शा रहा है तो उस स्थिति में क्या करना होगा ?

ऐसे बच्चों की पहचान कर संभव हो तो तत्काल एजुपोर्टल में उनके कोड की प्रविष्टि किए जाने हेतु प्रयास किए जाएं।

- यदि समय पर कोड नहीं मिल पाएं तो अलग से उनका विवरण लिखकर मोबाइल में उनके परिणामों की प्रविष्टि कर देवें। ऐसे विद्यार्थियों का रोल नंबर बाद में जेनरेट कर लिया जाएगा।

- किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को आकलन से वंचित नही किया जाएगा।

12. प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी?–

प्रत्येक परीक्षा केंद्र के केन्द्राध्यक्षों को प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने निकट के हाई स्कूल/ हायर सेकन्डरी/ पुलिस चौकी या थानों में सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी स्थिति में प्रश्नपत्र लीक नहीं होने चाहिए। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जिलों द्वारा किए जाएं।

13. प्रश्नपत्र लीक होने पर पर क्या करें ?

प्रश्न पत्र लीक होने की स्थिति में तत्काल जिले के माध्यम से सूचना भेजी जाए ताकि जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य से अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल की जा सकेगी।

14. **राज्य स्तरीय आकलन की जिम्मेदारी किसकी होगी ?**

बच्चों को आकलन के लिए बिना किसी भय के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ शामिल होने के लिए संबंधित शाला के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। आकलन की तिथियों में निकटस्थ शाला के शिक्षक आकर आकलन संबंधी कार्य करेंगे। प्राथमिक स्तर पर आकलन का कार्य प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन का कार्य प्रातः 8.00 बजे से 10.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

आकलन के बाद आगामी आकलन के लिए संबंधित शिक्षकों/प्रधानाध्यापक द्वारा तैयारी के लिए छात्रों को कुछ टिप्स दिए जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा पालकों को भी इस आकलन के लिए बच्चों को तैयार करने हेतु टिप्स दिए जाने चाहिए।

14. उत्तरपुस्तिकाओं का आकलन कौन करेगा ?

बच्चों की उत्तरपुस्तिकाओं को निकट के किसी अन्य संकुल में जमा किया जाएगा। इस संकुल स्रोत केंद्र में उस संकुल के भीतर कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही आकलन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शाला के

शिक्षक अपनी शाला के बच्चों का आकलन नहीं करेंगे। इस प्रकार से बच्चों का आकलन थर्ड पार्टी द्वारा किया जाएगा।

15. आकलन से प्राप्त परिणाम की समीक्षा कैसे की जाएगी ?

राज्य स्तरीय आकलन से हम लर्निंग आउटकम वार, कक्षावार, विषयवार बच्चों की, संकुल, विकासखंड एवं जिले की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं, और इसके आधार पर आगे सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने डाटाबेस एवं कार्यवाहियां प्रस्तावित कर सकते हैं जैसे –

- कौन कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाना होगा।
- ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- किन–किन लर्निंग आउटकम के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है।
- किन–किन शिक्षकों को किन–किन लर्निंग आउटकम पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

16. रैंकिंग का क्या प्रावधान है?

यह कार्यक्रम राज्य में बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए है। जिलों में वर्तमान में कई अलग–अलग प्रयास किए जा रहे हैं । कुछ विशेष क्षेत्रों में, कुछ विशेष लोगों की सक्रियता, से कुछ विशेष स्थलों में बेहतर कार्य संचालित हो रहे हैं। विशेष क्षेत्रों में, Island of Excellence शिक्षा में एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बेहतर कार्यों का विस्तार पूरे प्रदेश में होना चाहिए अलग–अलग परिस्थितियों एवं संसाधन सुविधा से युक्त जिलों का आपस में रैंकिंग नहीं किया जा सकता। इस पूरे कार्यक्रम में हम अपनी अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी से अपने स्वयं की स्थिति में पूर्व की तुलना में सुधार करने की दिशा में कार्य कर पायेंगे। इस प्रकार क्या हमारा मुकाबला स्वयं से होगा न कि किसी और से।

17. शिक्षकों के लिए क्या निर्देश होंगे?

इस पूरी प्रक्रिया में कमजोर परिणाम देने के आधार पर किसी शिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए शिक्षकों को बच्चों की वास्तविक स्थिति के सामने आने देना चाहिए। यदि किसी शाला में इस पूरी प्रक्रिया में जानबूझकर गलत कार्य किया जाता है तो अवश्य ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए सभी मिलकर यह प्रयास करें कि किसी भी स्थिति में इस प्रक्रिया में उल्लेखित एवं अपेक्षित प्रक्रियाओं में कोई बाधा न डाली जाए।

18. राज्य स्तरीय आकलन की तैयारी कैसे करें ?

शाला में बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करवाते हुए सभी प्रश्नों को हल करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आकलन की तिथियों से अवगत कराते हुए उन्हें सभी निर्धारित तिथियों में पेन, पेन्सिल आदि लेकर आकलन के लिए घर पर आवश्यक तैयारी करते हुए बिना डरे शाला में समय पर उपस्थित होने हेतु पालकों एवं बच्चों को समझाते हुए शत–प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

20. कक्षा 1 से 8 में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा के अलग–अलग होंगे?

राज्य में आदेश क्रमांक F 23–21 /2016/20–तीन/ नया रायपुर दि. 16.03.2018 के कक्षा 1 से 8 तक हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की एक ही पाठ्यपुस्तक लागू की गयी है। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में कक्षा 1 एवं 8 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रश्न पत्र विकसित किए गए हैं।